

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क फर्द अहकाम
मु. नं० 106/17 तारीख रज् 4.9.17

उनवान - रहीराम बनाम दलगांजी कैम
दावा बाबत बंधवरा व स्थायी निषेधाज्ञा

पारी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत तफास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सभ्मन से तलब कर दिनांक 8.9.17 को पेश हो।

4637-42
4.9.17

अगदीश आर्य
अभिलेख कलेक्टर
टोडाभीम

8.9.17

पारी कक्षील उप. प्रतिवादी नं. 6 की ओर से श्रीराम भरिली गुप्ता मय. ने श्रीमो पेश किया। प्रतिवादी नं. 1, 3, 4 के समत न्यायानगील तापीत हो गये लेकिन उनकी ओर से कोई भी उप. नहीं ही उनके किन्तु एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 2 का समत अपस तापीत प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी नं. 5 का समत वापिस प्राप्त नहीं हुआ है। पारी कक्षील प्रतिवादी नं. 2, 5 के समत तलवाना पुनः पेश करे। आदि दि. 11.9.17 को पेश हो।

11.9.17

बहुलाप उप. गतावृष्टि वास्ति तलबी दि. 6.10.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
6-10-17	बकुलाम उप/प्रतिवादी नं: 5 का समान बादलाफील प्राप्त किन्तु वे उपस्थित नहीं शत: इनके किन्ड एड पक्षीय का विवाही की जाती है प्रतिवादी नं: 2 का समान तलवाना पेश करे शते न लकी जवाब बजालानामा पेश करे दि 14-11-17 को पेश करे
14-11-17	बकुलाम उप/वादी वकील को प्रतिवादी नं: 2 का समान तलवाना पेश करे की हिदायत की वास्ते तलकी व जवाब दि 18-12-17 को पेश करे
18-12-17	बकुलाम उप/उपरिगत / वास्ते तलकी दिनांक 25-1-18 को पेश करे
19-1-18	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 23-1-18 को पेश हो।
31-1-18	बकुलाम उप/उपरिगत / वास्ते तलकी दिनांक 21-2-18 को पेश करे
21-2-18	बकुलाम उपस्थित/पीठसम अधिकारी चुनाव कार्य हे की लीपट्टे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26-3-18 को पेश हो।
26-3-18	बकुलाम उप/वादी वकील प्रतिवादी नं 2 के समान तलवाना पेश करे व प्रतिवादी वकील जवाब दिनांक 25-4-18 को पेश करे
25-4-18	बकुलाम उपस्थित/पीठसम अधिकारी पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 1-5-18 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

5-6/18

पत्रावली राजस्व लोकअदालत
न्याय आपके द्वार कैम्प करीरी में पेश हुई
वादी एवं वादी वकील अबजूद सूचना उप
नहीं थी अतः अदम हाजिरी एवं अदम
पैरवी में यह दावा खारिज किया जाता है
पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से
क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)